दिनांक 21.12.2017 को अपराह्न 4:00 बजे विशेष सचिव–सह–अध्यक्ष शिकायत निवारण समिति, श्रम संसाधन विभाग की अध्यक्षता में उनके कार्यालय कक्ष में संपन्न शिकायत निवारण समिति की बैठक की कार्यवाही–

उपस्थिति–

1. श्री पंकज कुमार पाल – विशेष सचिव – अध्यक्ष
2. श्री विवेक कुमार – संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण – सदस्य
3. श्री अजीत कुमार सिन्हा – सहायक निदेशक, नियोजन – सदस्य
4. डा० (श्रीमति) तृप्ति चौधरी – उप निदेशक, चिकित्सा सेवायें
5. डा० विनायक पदमाकर – प्रशाखा पदाधिकारी, 01 (सरकार पक्ष)
6. मो0 मुस्तफा मंसूरी – प्रशाखा पदाधिकारी– 03 (सरकार पक्ष)
7. श्री देवेश कुमार – श्रम प्रवर्त्तन पदाधिकारी (सरकार पक्ष)

कार्यवाही

समिति के समक्ष रक्षित मामलों के कार्यान्वयन की अद्यतन स्थिति की जानकारी उपस्थित पदाधिकारियों/प्रतिनिधियों द्वारा निम्न रूप से दी गयी :–

सरकार पक्ष (प्रशाखा–1)

सरकार पक्ष में लंबित मामलों के अनुपालन की स्थिति निम्न है–

आवेदक का नाम	विषय/अद्यतन स्थिति
1. डॉ0 कमलेश्वर नारायण अग्रवाल, सेवा निवृत, क्षे0प्र0चि0 पदाधिकारी, कर्मचारी राज्य बीमा योजना, बिहार	**अधिकाल प्रवर कोटि(2.5%) में दिनांक 01.04.1987 से लंबित प्रोन्नति के संबंध में–** उप सचिव प्रभारी प्रशाखा–1 के गै0स0प्रे0सं0–207 दिनांक 19.12.2017 द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि डा0 अग्रवाल के प्रवर कोटि प्रोन्नति से सम्बन्धित अभ्यावेदन पर विभागीय अधिसूचना सं०–196 दिनांक 13.12.2017 द्वारा कार्रवाई की जा चुकी है (छाया प्रति सलंग्न) । इस कारण इसे प्रशाखा–1 से विलोपित किया जा सकता है। प्रशाखा–1 से प्राप्त प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के आलोक में इस मामले को निष्पादित मानते हुए सूची से विलोपित किए जाने का निर्णय समिति द्वारा लिया गया।

प्रशिक्षण पक्ष

प्रशिक्षण पक्ष में लंबित मामलेां की अनुपालन स्थिति निम्न है–

आवेदक का नाम	विषय/अद्यतन स्थिति
1. श्री रामानंद सिंह, सेवानिवृत्त मुख्य अनुदेशक, औ0 प्र0 संस्थान, कटिहार	**अंकेक्षण आपत्ति सं0–125/2009–10 के संबंध में–** प्रशिक्षण पक्ष के पत्रांक–2935 दिनांक–20.12.2017 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि अंकेक्षण आपत्ति सं0–125/2009–10 में श्री रामानन्द सिंह, मुख्य अनुदेशक (से0नि0) का मकान किराया भत्ता का अवैध भुगतान की राशि को कटौती की जानी है। मकान किराया भत्ता की राशि जो

	रू0 1,18,981/– है, जिसकी कटौती की जानी है, उक्त राशि को अव्यवहृत उपार्जित अवकाश के बदले नगद भुगतान की राशि से कटौती कर शेष का भुगतान किया जा चुका है। प्राचार्य, औ0प्र0 संस्थान, कटिहार के पत्रांक–493 दिनांक–20.09.2017 के द्वारा निदेशकीय समीक्षोपरान्त अनुपालन प्रतिवेदन महालेखाकार कार्यालय, बिहार, पटना को हस्तगत करा दिया गया है। परन्तु अब तक महालेखाकार के द्वारा अंतिम निर्णय औ0प्र0 संस्थान, कटिहार को प्राप्त नहीं हुआ है। संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण को निदेश दिया गया कि शीघ्र मामले का निष्पादन करवाकर समिति को प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जाए।

कर्मचारी राज्य बीमा योजना

1.डॉ0 एस0 एस0 मुजफ्फरउद्दीन बलखी 2. डॉ0 उषा पाण्डेय	**कर्मचारी राज्य बीमा येाजना के आयुष, यूनानी बीमा चिकित्सा पदाधिकारियों की नयी नियमावली बनाने के संबंध में।** उप निदेशक, चिकित्सा सेवायें द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि आयुष/यूनानी/होमियोपैथिक बीमा चिकित्सा पदाधिकारी की नियमावली से संबंधित विभागीय संचिका सं0–1/ श्रम वि.ई. 8–80–01/2015 सरकार पक्ष, प्रशाखा–1 को पृष्ठांकित है। समीक्षा के क्रम में पाया गया कि "आयुष/यूनानी/होमियोपैथिक बीमा चिकित्सा पदाधिकारी की नियमावली" तथा बिहार कर्मचारी राज्य बीमा चिकित्सा पदाधिकारी (एलोपैथिक) संवर्ग नियमावली बनाने का कार्य मूल रुप से निदेशालय, कर्मचारी राज्य बीमा येाजना का है। सरकार पक्ष में संचिकाएँ केवल अग्रतर कार्रवाई हेतु भेजी गई है। अतः यह मामला निदेशालय चिकित्सा सेवायें में ही लंबित है। उप निदेशक, चिकित्सा सेवायें को निदेश दिया गया कि शीघ्र नियमावली को अधिसूचित करवाकर समिति को प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जाए।

3.डॉ० सी० के० पी० सिंह संयुक्त सचिव, बीमा चिकित्सा पक्ष, सेवा संघ	**डायनेमिक ए० सी० पी० संबंधित नई सेवा नियमावली बनाने के संबंध में–** उप निदेशक, चिकित्सा सेवायें के पत्रांक 1138 दिनांक 20.12.2017 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि कर्मचारी राज्य बीमा चिकित्सा पदाधिकारी एलोपैथिक संवर्ग नियमावली विभागीय अधिसूचना सं०–184, दिनांक 30.11.2017 के द्वारा एवं बिहार कर्मचारी राज्य एलोपैथिक बीमा चिकित्सा पदाधिकारी (डायनेमिक ए०सी०पी०) नियमावली 2017 विभागीय अधिसूचना सं०–207, दिनांक 20.12.2017 के द्वारा निर्गत किया जा चुका है। इस मामले को निष्पादित किया जा चुका है। अतः लंबित मामले की सूची से इसे विलोपित करने की कृपा की जाए। उप निदेशक, चिकित्सा सेवायें से प्राप्त प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के आलोक में इस मामले को निष्पादित मानते हुए सूची से विलोपित किए जाने का निर्णय समिति द्वारा लिया गया।

इस प्रकार इस माह में सरकार पक्ष के 01 एवं कर्मचारी राज्य बीमा योजना के 01 (क्रमांक–03) मामले का निष्पादन हुआ है।

बैठक सधन्यवाद, समाप्त हुई।

22/12/17

(अजीत कुमार सिन्हा)
सहायक निदेशक, नियोजन
सदस्य

(विवेक कुमार)
संयुक्त निदेशक,प्रशिक्षण
सदस्य

22/12/17

(पंकज कुमार पाल)
विशेष सचिव,
अध्यक्ष

ज्ञापांकः–3/श्रम विधि (शि0नि0)–01/2017 श्र0 सं0 3631 पटना, दिनांक 22/12/2017

प्रतिलिपिः– निदेशक नियोजन एवं प्रशिक्षण (दो प्रतियों में)/श्रमायुक्त, बिहार/निदेशक चिकित्सा सेवायें, कर्म0रा0बीमा योजना/संयुक्त श्रमायुक्त–01/संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण/सहायक निदेशक, नियोजन को सूचनार्थ एवं आवश्यक कायार्थ प्रेषित।

22/12/17

विशेष सचिव सह अध्यक्ष

ज्ञापांकः–3/श्रम विधि (शि0नि0)–01/2017 श्र0 सं0 3631 पटना, दिनांक 22/12/2017

प्रतिलिपिः– उप सचिव, प्रभारी प्रशाखा–01/उप निदेशक, चिकित्सा सेवायें, कर्मचारी राज्य बीमा योजना/प्रशाखा पदाधिकारी–01 (सरकार पक्ष) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित/आई0टी0 मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग को बेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

22/12/17

विशेष सचिव सह अध्यक्ष

ज्ञापांकः–3/श्रम विधि (शि0नि0)–01/2017 श्र0 सं0 3631 पटना, दिनांक 22/12/2017

प्रतिलिपिः– सचिव विधि विभाग/प्रधान सचिव के आप्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

22/12/17

विशेष सचिव सह अध्यक्ष